पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक 857/अका./२००४ रायपुर,दिनांक 7.5.2004

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 7.5.2004 को 5.00 बजे कुलपति कक्ष में आहूत की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थिति थें-

1.	प्रोफेसर बी.पी.चन्द्रा,कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर एम.एल.नायक	सदस्य
3.	प्रोफेसर जी.एल.मूंदड़ा	सदस्य
4.	प्रोफेसर ओ.पी.वर्मा	सदस्य
5.	श्री रामसुन्दर दास	सदस्य
6.	डा.कु हेमलता महोबे	सदस्य
7.	डा जी.डी.साव	सदस्य.
8.	श्री भागवत दाऊ चन्द्राकर	सदस्य
9.	डा डी.के.कटारिया	सदस्य
10.	श्री ए.मिन्ज, कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त-

पद क्रमांक 1 दिनांक 25.3.2004 को संपन्न विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

पद क्रमांक 2 कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 26.3.2004 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

पद क्रमांक 3 आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, फार्मेसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तुत सत्र 2004-05 के बजट पर विचार-विमर्श करना।

निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकृतिं प्रदान की गई।

पद क्रमांक 4 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में डा प्रभावती शुक्ला एवं डा प्रियम्बदा श्रीवास्तव उपाचार्य मनोविज्ञान अध्ययन शाला को दिनांक 24.1.1995 से वरिष्ठ वेतनमान एवं दिनांक 24.1.1999 से उपाचार्य पद पर पदोन्नति मान्य करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से पूर्व में जारी विश्वविद्यालय आदेश दिनांक 20.2.2003 एवं आदेश दिनांक 20.9.2003 में संशोधन करते हुये डा प्रभावती शुक्ला एवं डा प्रियम्बदा श्रीवास्तव उपाचार्य मनोविज्ञान अध्ययन शाला को दिनांक 24.1.1995 से वरिष्ठ वेतनमान एवं दिनांक 24.1.1999 से उपाचार्य पद पर पदोन्नति मान्य किया गया।

विषय क्रमांक 5 विश्वविद्यालय में वीसेट की स्थापना के पश्चात अध्ययनशालाओं, ग्रंथालय एवं अनय विभागों को जोड़ने एवं उसमें आने वाली तकनीकी त्रुटियों के सुधार का व्यय लागत व्यय का 1 प्रतिशत भुगतान संबंधित संस्था को करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक 6 शांति निकेतन कालेज रायपुर में निर्धारित स्वीकृत संख्या से अधिक प्रविष्ठ 113-80=33 छात्रों से प्राप्त शुल्क का 50 प्रतिशत वसूल कर समस्त 113 छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद के पूर्व आदेश का पालन किया जाय और छात्र हित में छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई। पूर्व आदेश के अनुसार छात्रों से प्राप्त शुल्क का 50 प्रतिशत महाविद्यालय से लिया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में एक समिति गठित की गई। डा एम.एल.नायक, डा.जी.एल.मूंदडा, एवं डा ओ.पी.व्यास इस समिति के सदस्य होंगे। समिति महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिसे कार्यपरिषद की आगामी बैठक के समक्ष रखा जायेगा।

विषय क्रमांक 7 जैविकी अध्ययन शाला में संलग्न बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला को पृथक कर एक अलग अध्ययनशाला प्रारंभ करने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 8 पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरवर्ती शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र से बाहर भी संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 में निम्न संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 में निम्न संशोधन के प्रस्ताव की अनुशंसा की गई-"Provided also that the State Government may, in accordance with the rules framed in this behalf, permit any University in Chhattisgarh to collaborate with any Institution outside the State of Chhattisgarh or abroad for carrying out partly or wholly any of its teaching or research activities."

विषय क्रमांक 9 अध्यादेश क्रमांक 69 Post-Graduate Diploma in Personnel Management and Industrial Relations में संशोधन पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से

विषय क्रमांक 10 विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 5.5.2004 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

विषय क्रमांक 11 पं.सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार में प्रतिवर्ष मंगायी जाने वाली विदेशी शोध पत्रिकाओं के अग्रिम चंदे की राशि रुपये 12,94,468/- के भुगतान हेतु कुलपति महोदय द्वारा 15(4) में स्वीकृति प्रदान की गई। चंदे की राशि का भुगतान मेसर्स एलाईड पब्लिशर्स

सबस्क्रीपशन एजेंसी नागपुर को किया जा चुका है जो विदेशी मुद्रा बैंक ड्राफ्ट बना कर प्रकाशकों को चंदा भेजते है। कार्यपरिषद को सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 12 कु.तसनीम सिद्धिकी, एम.बी.ए. प्रथम सेमेस्टर अनुक्रमांक 4749 के अनुचित साधन के प्रकरण के संबंध में निर्णय लेना।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छात्रा के विरूद्ध अनुचित साधन प्रकरण का निराकरण किया गया है. उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

विषय क्रमांक 13 तकनीकी परीक्षा से संबंधित अंक सूची तैयार करने के एवज में मिलने वाले पारिश्रमिक के दर के संबंध में निर्णय लेना।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान परिषद द्वारा निर्धारित दर रुपये 5/- प्रति विद्यार्थी को मान्य किया गया।

विषय क्रमांक 14 अशासकीय महाविद्यालयों के लिये प्रशासनिक समिति के सदस्यों को दो वर्ष के लिये मनोनयन को अनुमोदन करने के संबंध में।

निर्णय सर्वसम्ममति से अनुमोदित की गई।

विषय क्रमांक 15 भवन निर्माण के संबंध में ठेकेदार श्री लखन साहू को किये गये अनियमित भुगतान राशि रुपये 10 लाख के संबंध में।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण की जांच करने के लिये तीन-सदस्यीय समिति गठित की गई इसके सदस्य प्रोफेसर एम.एल.नायक, प्रोफेसर जी.एल.मूंदडा एवं प्रोफेसर एस.सर्राफ रहेंगे जो आगामी कार्यपरिषद की बैठक में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

विषय क्रमांक 16 विश्वविद्यालय में कार्यरत चौकीदारों एवं जमादारों के द्वारा किये जाने वाले कार्य के संबंध में विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चौकीदार एवं जमादारों के द्वारा कार्य अवधि किये जाने वाले कार्यों की जानकारी संबंधित कर्मियों से प्राप्त की जावे।

विषय क्रमांक 17 दैनिक समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय से संबंधित भ्रामक जानकारी प्रकाशित होने के संबंध में।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसके संबंध में जांच करने हेतु एक समिति का गठन की गई जिसके सदस्य प्रोफेसर एम.एल.नायक, प्रोफेसर जी.एल.मूंदडा और प्रोफेसर ओ.पी.वर्मा रहेंगे। अकादमी शाखा से संबंधित गोपनीय तथ्यों को श्री विक्टर एक्का, उपकुलसचिव द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है इसकी जांच की जावे। इसके अलावा अन्य विभागों से विश्वविद्यालय से संबंधित समाचार प्रकाशित करने वालों की भी जांच कर कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

विषय क्रमांक 18 विश्वविद्यालय में फोटो-कापी कार्य के लिये पृथक शाखा बनाने के संबंध में निर्णय लेना।

निर्णय सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विषय क्रमांक 19 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 5.5.2004 के कार्यवृत्त में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण की कंडिका 4 में लिये गये निर्णयानुसार गठित समिति द्वारा 1.Diploma in Psychological Medicine, 2.Diploma in Medical and Social Psychology and 3.Diploma in Psychiatric Social Work पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों की अनुशंसा को मान्य करना।

निर्णय सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

7.5.04

कुलपति कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 259/अका/2004 रायपुर, 7.5.2004

प्रतिलिपि-

०१. राज्यपाल के सचिव,राजभवन ,रायपुर ।
०२. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन ,रायपुर ।
०३. सचिव,वित्त विभाग,छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन ,रायपुर ।
०४. डॉ० एम.एल. नायक, आचार्य ,बायो-साईन्स अध्ययन शाला पं० र०शु०वि०वि० रायपुर ।
०५. डॉ० ओ.पी. वर्मा आचार्य क्षेत्रीय अध्ययन शाला पं०र०शु०वि०वि. रायपुर ।
06. प्रोफेसर आर.सी.मेहरोत्रा, रायपुर
०७. डॉ० एस सराफ, फार्मेसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर।
०८ प्रोफेसर जी.एल.मूंदडा, आचार्य, रसायन अध्ययन शाला, पं.र.शु.वि.वि.,रायपुर
०९ डा हेमलता महोबे, प्राचार्य, दिग्विजय महा.राजनांदगांव
10 डा.अशोक कुमार बंसल, प्राचार्य, बी.पी.देव महा, कांकेर
11 डॉ० अमीरचंद जैन, शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय,राजनांदगांव ।
12 श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग
13. पं.रामसुन्दर दास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर ।
१४ डॉ० (श्रीमती) गीता तिवारी, प्राचार्य शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर
१५ डॉ० युगल भारती, प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर ।
१६ श्री रामलाल भारद्वाज विधायक (पल्लारी क्षेत्र), बी-४,अयोध्या अपार्टमेंट रायपुर।
१७. श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक देशबन्धु रायपुर।
१८ डा डी.के.कटारिया, आयुर्वेदिक महाविद्यालय,रायपुर।
19. डा जी.डी.साव, प्राचार्य, शास.महाविद्यालय दुर्ग।
२०. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।
२१. वित्तअधिकारी/आवासीयअंकेक्षणपं.र.शु.वि.वि.रायपुर/उपकुलसचिवअकादमिक/उपकुलसचिव गोपनीय/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी प्रशासन, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी परीक्षा/ग्रंथपाल, पं.सुन्दरलाल शर्मा
ग्रंथालय, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि.,रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कुलसचिव